पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

योगेन्द्र प्रसाद

बनाम

बिहार राज्य

2011 का दिवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15913

में

2019 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1579

26 अप्रैल, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)

हेडनोट्स

आवेदन - विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया, जिसके अंतर्गत वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा दैनिक वेतन पर ड्रेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। कुछ वर्षों के पश्चात उसकी सेवा नियमित कर दी गई। वेतन भुगतान के संबंध में व्यथित अपीलकर्ता ने संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसे खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता ने अस्वीकृति आदेश को चुनौती देते हुए रिट दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ता ने कोई नियुक्ति पत्र या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे पता चले कि उसकी सेवा विशेष तिथि को नियमित की गई थी तथा उसने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया कि उसे विशेष पद पर नियुक्त किया गया था। (पैरा 8)

अपनी सेवा की नियुक्ति या नियमितीकरण के संबंध में किसी दस्तावेज के अभाव में, अपीलकर्ता ने ऐसा कोई मामला नहीं बनाया है, जिससे विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। (पैरा 9)

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री ए. बी. ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री नितेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री विनय कीर्ति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अखिलेश्वर सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2011 का दिवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15913
में
2019 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1579

==========

योगेन्द्र प्रसाद, पिता- स्वर्गीय जगलाल साह उर्फ जगलाला सहरी, निवासी- ग्राम व डाकघर- जलपुरा, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर वर्तमान में टी.बी. अस्पताल, कोइलवर, जिला- भोजपुर में ड्रेसर के पद पर कार्यरत हैं।

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार सरकार के स्वास्थ्य आयुक्त के माध्यम से बिहार राज्य।

2. मुख्य निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

3. अधीक्षक, टी.बी. अस्पताल, कोइलवर, जिला- भोजपुर।

... ...उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री ए. बी. ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री नितेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री विनय कीर्ति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री अखिलेश्वर सिंह, अधिवक्ता

==========

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे

सीएवी निर्णय

(द्वारा : माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)

दिनांक : 26-04-2024

वर्तमान एलपीए, 2011 का सी.डब्लू.जे.सी. सं. 15913 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.09.2019 पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. सिविल रिट क्षेत्राधिकार में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:-

> *यह आवेदन पत्र दिनांक 21.02.2011 के आदेश, मेमो संख्या 377 को दरकिनार करने तथा उत्तरदातों को याचिकाकर्ता की सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से उसके नियमित वेतन का भुगतान करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए एक आवेदन है सिवाय 17.01.89 से 12.03.94 तक की अवधि के जब वह लकवाग्रस्त होने के कारण बीमार था और*

उसे 13.08.94 को किसी अन्य राहत के साथ कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई थी, जिसके वह हकदार हो।

3. संक्षेप में मामले का तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को उत्तरदाता सं. 3 द्वारा 01.12.1982 को दैनिक वेतन पर ड्रेसर के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने 31.12.1988 तक टीबी अस्पताल, कोइलवर में काम किया। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी दावा किया गया है कि आदेश सं. 1037 दिनांक 31.12.1988 द्वारा उसकी सेवा को नियमित किया गया था और उसे उत्तरदाता सं. 3 द्वारा ड्रेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि दुर्भाग्य से याचिकाकर्ता को लकवा का दौरा पड़ा और लकवा के दौरे से उबरने के बाद उसे सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता ने 19.12.1988 से वेतन भुगतान के संबंध में कई बार इस न्यायालय का रुख किया। विवरण की कमी के कारण पहले भी संबंधित प्राधिकारी को कई रिट याचिकाएँ भेजी जा चुकी हैं। 2002 के सी.डब्लू.जे.सी. सं. 14403 में पारित दिनांक 19.07.2010 के आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले में निम्न प्रकार से अभिलिखित किया गया है:-

"इस मामले को ध्यान में रखते हुए, जब याचिकाकर्ता ने स्वयं अपनी राहत के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, तो यह न्यायालय, अधिक से अधिक, उसे अब स्वास्थ्य विभाग के मुख्य निदेशक के समक्ष अपनी मांग उठाने की स्वतंत्रता दे सकता है, जो नियमों के अनुसार बीमारी के कारण उसकी अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने और/या याचिकाकर्ता द्वारा वास्तव में किए गए कार्य के लिए वेतन का भुगतान करने के मामले में याचिकाकर्ता

की पात्रता तय करने के लिए प्रासंगिक अभिलेखों और मामले में प्रस्तुत पूर्व प्रतिवेदन पर गौर करेंगे।

मामले में तेजी लाने के लिए, याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रति सहित एक स्व-निहित अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती है और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य निदेशक इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करके अपना निर्णय लेंगे।

उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस आवेदन का निपटारा किया जाता है।"

4. उक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.08.2010 को अपना अभ्यावेदन दाखिल करके संबंधित प्राधिकारी से संपर्क किया। उत्तरदाता सं.2 ने उक्त अभ्यावेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने एक भी दिन काम नहीं किया और उक्त संस्था द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में कभी भुगतान नहीं किया गया। उक्त अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि न तो कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई और न ही अपीलकर्ता को अपना कर्तव्य करने के लिए कहा गया। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के संबंध में कोई भुगतान नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 06.08.2010 के अभ्यावेदन के अनुसार प्रस्तुत किए गए सभी दावों को उत्तरदाता सं. 2 द्वारा रिट याचिका के अनुलग्नक-1 के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय के समक्ष अनुलग्नक-1 को चुनौती दी जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता- द्वारा उठाया

गया दावा लागू करने योग्य नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान एलपीए दायर किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश न्यायोचित और कानूनी नहीं है क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की सराहना नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता लक्वे की लंबी बीमारी के बाद मेडिकल अभिलेख के साथ संबंधित कार्यालय में शामिल होने आया था, लेकिन याचिकाकर्ता के शामिल होने के दावे पर विचार करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उक्त तथ्य की सराहना नहीं की गई है। यह भी कहा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका के अनुलग्नक-1 की भी सराहना नहीं की है जो बिना किसी आधार के है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता का दावा अलग रजिस्टर पर आधारित है लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि डॉ. गीता कुमारी, अधीक्षक, टीबी अस्पताल, कोइलवर, भोजपुर (रिट याचिका के अनुलग्नक-4) की प्रतिवेदन को कभी चुनौती नहीं दी गई, लेकिन उत्तरदाता सं. 2 ने भी इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किसी भी सामग्री की सराहना नहीं की है।

6. उत्तरदाता सं. 2 की ओर से अनुलग्नक-ए से डी प्रस्तुत करते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। जवाबी हलफनामे के कंडिका 8 में यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कभी कोई कार्य नहीं की और न ही उसे कभी दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किया गया और याचिकाकर्ता ने दैनिक मजदूरी पर काम करने की अवधि गलत बताई है और

उसे कभी भी अधीक्षक, टीबी अस्पताल, कोइलवर (भोजपुर) के कार्यालय से एक पैसा भी नहीं दिया गया। कंडिका 9 में उत्तरदाता सं. 2 ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता उक्त अस्पताल में दैनिक मजदूरी करने वाला कर्मचारी नहीं था। कंडिका 11 में यह दावा किया गया है कि ड्रेसर का कोई रिक्त पद नहीं था और याचिकाकर्ता को ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था जो अस्तित्व में ही न हो।

7. दिनांक 06.03.2024 के आदेश के तहत इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था कि क्या बिहार सीसीए नियम, 2005 के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है या नहीं और जवाबी हलफनामे के कंडिका 12 में दिए गए निर्देश के आलोक में उत्तरदाता सं. 2 ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता टी.बी. अस्पताल, कोइलवर का नियमित कर्मचारी नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ बिहार सी.सी.ए. नियम, 2005 के तहत कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई। जवाबी हलफनामे के कंडिका 13 में उत्तरदाता सं. 2 ने याचिकाकर्ता के नियुक्त होने के दावे को भी आक्षेपित कहा है कि कैसे 31.12.1988 का जाली नियुक्ति पत्र तैयार किया गया है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कोई नियुक्ति पत्र या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे पता चले कि उसकी सेवा किसी विशेष तिथि को नियमित की गई थी और उसने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया कि उसे किसी विशेष पद पर नियुक्त किया गया था। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि न तो याचिकाकर्ता को दैनिक वेतन वाले पद पर नियुक्त किया गया था और न ही उसकी सेवा नियमित की गई थी और याचिकाकर्ता का दावा एक निराधार

बयान के अलावा कुछ नहीं है जो किसी भी प्रमाणित दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है।

9. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आलोक में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का दावा निराधार है और यह किसी भी प्रमाणित दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है। अपनी सेवा की नियुक्ति या नियमितीकरण के संबंध में किसी भी दस्तावेज के अभाव में, याचिकाकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 09.09.2019 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया है।

10. तदनुसार, वर्तमान एलपीए खारिज की जाती है।

(पी.बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहजाद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।